



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ 14(170/17)2017/एफसीए/प्रमुखसं/ 5129

दिनांक 08/03/2023

मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय:-Diversion of 286.47 hectare of forest land in favour of Executive Engineer, Water Resource Division III, Baran for construction of Hathiyadeh Medium Irrigation project in Baran district, Rajasthan".
(Proposal No. :- FP/RJ/IRRIG/24263/2017)

संदर्भ:-आपका पत्र दिनांक 21.02.2023

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त पालना का परीक्षण उपरांत निम्नांकित बिन्दुओं की सूचना अभी भी अप्राप्त है:-

1. यूजर एजेन्सी द्वारा R&R plan की अनुमोदित प्रति ऑनलाइन पर सही अपलोड नहीं की गयी है एवं उक्त R&R प्लान सक्षम स्तर से अनुमोदित कर पत्र भी संलग्न नहीं किया गया है। CAT प्लान के संबंध में शपथ पत्र एवं एक प्रति संलग्न की गयी है, जिस पर मुख्य वन संरक्षक, कोटा/उप वन संरक्षक, बारां की टिप्पणी प्राप्त नहीं है।
2. उप वन संरक्षक, बारां द्वारा 35 है० गैर वनभूमि में अतिक्रमण होना दृश्यमान है जिसमें यूजर एजेन्सी द्वारा अतिक्रमण हटाया जावेगा अंकित किया गया है। जबकि प्रस्ताव के पार्ट II में स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र (102.08 पाटेवा, 117 है० पाटुन्दा एवं 66.72 है० पाटुन्दा) में गैर वनभूमि अतिक्रमण से मुक्त है। प्रकरण में प्राप्त गैर वन भूमि पर अतिक्रमण है तो अतिक्रमण हटाया जाकर ही गैर भूमि लिया उचित होगा।
3. मक निस्तारण योजना के संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा मक को प्रयोग में लिए जाने एवं बकाया मक वन क्षेत्र के बाहर निस्तारित करने हेतु लिखा गया है योजना में यह स्पष्ट नहीं है कि अनुमानित कितना मक सृजित होगा एवं किस प्रकार उसका प्रयोग किया जावेगा इसके संबंध कोई योजना/वचनवद्धता संलग्न नहीं दी गयी है।
4. यूजर एजेन्सी द्वारा लागत लाभ विश्लेषण में अपेक्षित संशोधन नहीं किया गया है।
5. उप वन संरक्षक, बारां द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में प्राप्त गैर वन भूमि 286.47 है० में से मात्र 95 है० में ही वृक्षारोपण कराया जावेगा बाकि पारिभ्राषित वन भूमि में कराया जावेगा। जबकि प्रस्ताव के साथ संलग्न स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र में साइट वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त बतायी गयी है, जो विरोधाभासी है। भारत सरकार के परिपत्र अनुसार प्राप्त गैर वन भूमि में लगने वाले पौधों के अतिरिक्त अवशेष पौधों को ही समीपस्थ पारिभ्राषित वन भूमि में लगाये जा सकते हैं। प्रकरण में प्राप्त सम्पूर्ण NFL का उपचार किया जाना आवश्यक है।
6. यूजर एजेन्सी द्वारा पार्ट-I के बिन्दु संख्या L में NFL (Tikod Patunda-242.5 ha., Nachana khora- 26.336 ha., Aklera sagar-17.66 ha.) अपलोड की गयी है किन्तु Tikod Patunda-242.5 ha की के०एम०एल० फाइल अपलोड नहीं की गयी है एवं इनके स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं है।

अतः प्रस्ताव लौटाया जाकर लेख है कि उपरोक्तानुसार विन्दुओं की पूर्ति करते हुए संशोधित प्रस्ताव पुनः भिजवाने का श्रम करावें।

उक्त आक्षेप सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीया,


Shirva
(शिखा मेहरा)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नौडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 14(170/17)2017/एफसीए/प्रमुवसं/ 5130-31
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक 08/03/2023

1. उप वन संरक्षक, बारां।
2. अधिशाषी अभियंता, जल संशाधन विभाग, खण्ड-बारां।


उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर